



1. डॉ० चन्दन सोनकर
2. डॉ० अमित कुमार राहुल

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी० का प्रभाव

विभागाध्यक्ष— वाणिज्य विभाग, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
भारत

Received-05.10.2022, Revised-05.10.2022, Accepted-10.10.2022 E-mail:aaryavart2013@gmail.com

सारांश:- GST सभी वस्तुओं और सेवाओं पर पूरे भारत में लगाया जाने वाला एक कल राष्ट्रीय समान कर है। जीएसटी में, सभी अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद शुल्क, केंद्रीय विक्री कर (जीएसटी) और मूल्य वर्धित कर (वैट) आदि होंगे। एक ही शासन व्यवस्था के तहत समिलित किया गया। माल और सेवा कर (जीएसटी) का परिचय एक के रूप में अपेक्षित देश में व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, जो भारत का नेतृत्व करेगा, इसके आर्थिक विकास के लिए। प्रस्तावित अध्ययन को भारतीय पर जीएसटी के प्रभाव को जानने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों पर इसके व्यक्तिगत प्रभाव की सहायता से अर्थव्यवस्था। अध्ययन प्रकृति में खोजपूर्ण है तथा माध्यमिक आँकड़ों का प्रयोग अध्ययन के लिए किया गया है। विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और इंटरनेट से डेटा एकत्र किया जाएगा।

कुंजिभूत शब्द- जीएसटी, अर्थव्यवस्था, करों का व्यापक प्रभाव, जीएसटी परिषद, उपकर, कराधान सुधार, अूथक विकास।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव- करों के व्यापक प्रभाव को दूर करने के लिए और माल के लिए एक आम राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने के लिए और सेवाओं, भारत सरकार ने माल और सेवा कर लागू करने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव रखा संघ के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों सहित राज्यों को समर्वती कर अधिकार प्रदान करने के लिए प्रत्येक लेनदेन पर माल और सेवा कर लगाने के लिए कानून बनाने के लिए विधायिका। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष है कर भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया है और पूरे भारत में लागू किया गया था जिसे बदल दिया गया था केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए गए कई व्यापक कर। जीएसटी एक द्वारा शासित है जीएसटी परिषद। जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं पर निम्नलिखित दरों पर कर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% और मोटे कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों पर 0.25% और सोने पर 3% की विपेश दर है इसके अलावा 15% का उपकर या 28% के शीर्ष पर अन्य दरों पर जीएसटी कुछ वस्तुओं पर लागू होता है जैसे कि वातित पेय, लक्जरी कार और तंबाकू उत्पाद। विशेषज्ञ ने इसे भारत में स्थापित सबसे बड़े कर सुधार के रूप में देखा: एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर: की अवधारणा। जीएसटी रोलआउट ने भारत को एक एकीकृत में बदल दिया है। 1.3 अरब नागरिकों का बाजार। रोलआउट से भारत के राजकोषीय सुधार कार्यक्रम की सकारात्मक आशा है।

गति प्राप्त करना और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चौड़ा करना। में जीएसटी लागू करने के पीछे का विचार 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में देश यह है कि यह सभी के लिए एक जीत की स्थिति की पेशकश करेगा नागरिक। संपूर्ण कराधान आधार केंद्र के मूल्यांकन तंत्र के बीच साझा किया जाएगा और भारतीय क्षेत्र में होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर कर वसूल करने वाले राज्य पानी। जीएसटी परिषद की नौर्वी बैठक में केंद्र ने राज्यों को लाने के लिए महत्वपूर्ण रियायतें दीं, विद्रोही सहित। प्रशासनिक निर्णय इस प्रकार होंगे। राज्य प्रशासन करेगा 1.5 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर समेत 90 फीसदी टैक्स प्लेयर्स जांच, और लेखा परीक्षा शक्तियों के साथ और शेष 10 प्रतिशत केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। कर उस थ्रेशोल्ड टर्नओवर से ऊपर के खिलाड़ी, जिसमें वे भुगतान एकीकृत (अंतरराज्यीय आयात शामिल हैं) जीएसटी होगा केंटर और राज्य के बीच समान रूप से साझा किया जाता है, और इससे कर का महत्वपूर्ण स्थानांतरण होगा केंद्र से राज्य तक खिलाड़ियों का आधार।

उद्देश्य -

माल और सेवा कर की अवधारणा को समझने के लिए।

अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के कम प्रभाव का पता लगाना।

भविष्य में जीएसटी के प्रभाव का पता लगाने के लिए।

शोध विधि- प्रस्तावित अध्ययन एक डेस्क शोध है और वर्णनात्मक शोध का एक प्रयास है, जो निम्नलिखित पर आधारित है पत्रिकाओं, इंटरनेट, लेखों, पिछले शोध पत्र, संसद पुस्तकालय से प्राप्त द्वितीयक डेटा और संदर्भ अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस)।

शोध साहित्य की समीक्षा- निशता गुप्ता ने अपने अध्ययन गुड्स एंड सर्विस टैक्स: इट्स इमैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी: में कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वास्तव में एक व्यापक की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा भारत



में अप्रत्यक्ष कर सुधार और यह भारत को एक विश्व स्तरीय कर प्रणाली प्रदान करेगा और कर में सुधार करेगा। यह अलग-अलग क्षेत्रों की विकृतियों को समाप्त करेगा। आगे देखा गया कि इससे केंद्रीय बिक्री कर, राज्य स्तरीय बिक्री कर, चुंगी, प्रवेश कर, स्टाम्प शुल्क, दूरसंचार जैसे करों का उन्मूलन लाइसेंस शुल्क, टैक्सोन खपत। जीएसटी से भारत में व्यापार के अनुकूल माहौल बनने की उम्मीद है।

परिणामस्वरूप मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति की दरें के आवेदन के कारण समयोपरि नीचे आ जाएंगी एकसमान कर दर। इसके अलावायह कर संग्रह प्रणाली के रूप में सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा अधिक पारदर्शी हो जाएगा, जिससे कर चोरी मुश्किल हो जाएगी। नितिन कुमार ने अपने शोध पत्र :भारत में गुड्सैंड सर्विस टैक्सः ए वे फॉरवर्ड दैट द: में लिखा है-

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) भारत में सबसे बड़े कराधान सुधारों में से एक है, इसके पीछे केंद्रीय विचार है कराधान का यह रूप वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर जैसे मौजूदा लेवी को प्रतिस्थापित करना है में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण और उपभोग पर व्यापक कर लगाना देश। जीएसटी से देश को आर्थिक रूप से एकजुट करने की उम्मीद है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के करों को हटा देगा जो वर्तमान में विभिन्न बिंदुओं पर लगाया जाता है।

डॉ. अंबरीष ने अपने अध्ययन “गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंडस्ट्रीस्ट्रीट ऑन स्टार्टअप्स” में कहा है जीएसटी से देश को आर्थिक रूप से एकजुट करने की उम्मीद है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के करों को हटा देगा जो हैं वर्तमान में विभिन्न बिंदुओं पर लगाया गया है। 2015 की NASSCOM रिपोर्ट के आधार पर इस पेपर ने यह भी विश्लेषण किया कि कैसे GST का देश के स्टार्टअप पर प्रभाव और GDP पर कैसे प्रभाव पड़ा है।

डॉ. आर. वसंतगोपाल ने “भारत में जीएसटी: अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में एक बड़ी छलांग” का अध्ययन किया और पाया सकारात्मक प्रभाव निर्माण हैं यदि जीएसटी का डिजाइन तर्कसंगत है और यदि संतुलन परस्पर विरोधी है विभिन्न हितधारकों के हित। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक बड़ा पत्ता होगा और भारत के आर्थिक परिवर्तन को एक नई गति प्रदान करते हैं। आगे उन्होंने उल्लेख किया कि जीएसटी के कार्यान्वयन को सबसे बड़े गेम चैंजिंग सुधारों में से एक के रूप में आंका जाएगा भारत सरकार, जो भारत को आर्थिक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगी और व्यापार लागत को कम करना और स्थानीय वस्तुओं को समाप्त करके वस्तुओं और सेवाओं की निर्बंध आवाजाही की सुविधा प्रदान करना।

जीएसटी का अवलोकन और विभिन्न क्षेत्रों पर इसका प्रभाव— अगर निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं पर जीएसटी के प्रभाव के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जीएसटी होने की उम्मीद है कर ढांचे के कारण भारत के निर्माता में प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रदर्शन को बढ़ावा देना। उच्च बुनियादी ढांचे पर खर्च और घटते निर्यात इस क्षेत्र की कुछ चिंताएं हैं। एकल कर सिस्टम निर्माताओं और वितरकों के लिए प्रशासनिक लागत में कमी करेगा और यह क्षेत्र होगा अधिक मजबूती से बढ़ना।

यदि सेवा प्रदाताओं पर जीएसटी के प्रभाव पर एक नज़र डाली जाए तो यह देखा जाता है कि कर का अधिकांश बोझ है दूरसंचार सेवाओं, बीमा उद्योग, व्यापार समर्थन जैसे डोमेन द्वारा वहन किया जाता है सेवाएं, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, आईटी सेवाएं आदि। जीएसटी की शुरुआत से बोझ कम होगा लॉजिस्टिक उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम काफी हद तक यह मान सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित और परिपक्व लॉजिस्टिक्स उद्योग में मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने की क्षमता है भारत सरकार का और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही जीएसटी ईकॉम सेक्टर के विकास में मदद करेगा लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव विशेष रूप से दिलचस्प होंगे क्योंकि मॉडल जीएसटी कानून विशेष रूप से स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) तंत्र का प्रस्ताव करता है, अगर फार्मा उद्योग के बारे में बात करें जीएसटी से फार्मा और हेल्थकेयर उद्योगों को फायदा होने की उम्मीद है। यह चिकित्सा पर्फटन को बढ़ावा देता है सरलीकृत कर संरचना के साथ। जीएसटी के बाद दूरसंचार क्षेत्र की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।

सूची के कुशल प्रबंधन के माध्यम से निर्माता लागत पर बचत करेंगे। हैंडसेट निर्माता उनके उपकरण बेचने में आसानी होगी क्योंकि जीएसटी राज्य की आवश्यकता को नकार देगा और बचत भी करेगा रसद लागत पर। कपड़ा उद्योग बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल लोगों को रोजगार देता है कर्मी। यह कुल वार्षिक निर्यात में लगभग 10% का योगदान देता है, और इस मूल्य के बढ़ने की संभावना है जीएसटी। जीएसटी का कपड़ा उद्योग की कपास मूल्य श्रृंखला पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो आर्थिक नेतृत्व करता है वृद्धि। रियल एस्टेट क्षेत्र भी भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह एक भूमिका निभाता है भारत में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका। इस क्षेत्र को जीएसटी से काफी लाभ दिखाई देगा कार्यान्वयन।



जीडीपी में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद का 16% शामिल है कृषि क्षेत्र के सामने प्रमुख मुद्दे राज्य की तर्ज पर कृषि उत्पादों का परिवहन है। यह है उम्मीद है कि जीएसटी से परिवहन की समस्या का समाधान हो जाएगा। FMCG सेक्टर में बढ़ सकती है महत्वपूर्ण बचत रसद और वितरण लागत में जीएसटी के रूप में कई बिक्री डिपो की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। इस क्षेत्र के लिए जीएसटी दर लगभग 17% होने की उम्मीद है जो कि 24-25% कर दर से कम है वर्तमान में एफएमसीजी कंपनियों द्वारा भुगतान किया जाता है। वर्तमान कर प्रणाली के तहत, कई कर लागू होते हैं उत्पाद शुल्क, वैट, बिक्री कर, सड़क कर, मोटर वाहन कर, पंजीकरण शुल्क जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर जीएसटी के दायरे में आ जाएगा।

जीएसटी पर एक विश्लेषण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव- माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के साथ एक डिजीटल अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई प्रदर्शन, भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक स्वच्छ और बड़ा बना देगा : संघ वित्त ने कहा जीवंत गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में मंत्री अरुण जेटली। आगे उन्होंने कहा, यह एक प्रमुख होने जा रहा है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एकीकरण की दिशा में कदम और इससे ही लेन-देन में वृद्धि होगी, जो बैंकिंग प्रणाली के लेन-देन के अंतर्गत आते हैं और इससे उच्च राजस्व प्राप्त हो सकता है भविष्य। उन्होंने कहा एक नया भारत उभरा है। यह अनिवार्य है कि मांग के स्तर में वृद्धि के साथ, आपूर्ति का स्तर भी इसी तरह प्रतिक्रिया देगा। जीएसटी परिषद के मंत्रालय द्वारा पूछा जा रहा है बागान, चमड़ा और सीमेंट के निर्यातकों को अपने ढांचे से बाहर रखने के लिए वाणिज्य और उत्पादन बढ़ाने और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए उन पर कम कर लगाने का सुझाव दिया। साथ इससे उत्पादक उत्पादकता बढ़ाते हैं और वैश्विक बाजार में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, परिषद ने इसे बरकरार रखा है किसी भूमि को व्यक्तिगत रूप से खेती करने की अनुमति देने के लिए कृषक की प्रस्तावित परिभाषा केवल तभी है जब उसका एचयूएफ के व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों द्वारा खेती की जाती है और इसे जीएसटी के तहत छूट दी गई है।

निर्माता और व्यापारियों को कम टैक्स फाइलिंग, पारदर्शी नियम और समग्र रूप से एक साउंड बुक कीपिंग से फायदा होगा व्यवस्था। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के लिए कम भुगतान करेंगे और अपने में बदलाव लाएंगे व्यय पैटर्न और आजीविका, सरकार राजस्व के रूप में अधिक राजस्व उत्पन्न करेगी जीएसटी लागू होने से लीकेज बंद हो जाएंगे। वर्तमान में जीएसटी ने वास्तव में भारत को कैसे प्रभावित किया है अर्थव्यवस्था की स्थिति और भविष्य में। पहला: उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, उपनोक्ताओं के पास भुगतान है उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक कर। जीएसटी कार्यान्वयन की लागत है इससे जुड़े अधिकांश सामानों पर अनुपालन और कर। यह जांच करता है कि अनुपालन की यह लागत होगी छोटे पैमाने के निर्माताओं और व्यापारियों के लिए निषेधात्मक और थोड़ा अधिक। के इस मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप माल ऊंचा हो जाएगा और समाज के जीवन यापन की लागत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा यदि दीर्घकालिक प्रभाव जीएसटी के विश्लेषण से यह उम्मीद की जाती है कि जीएसटी का मतलब केवल करों की कम दर नहीं होगा, बल्कि न्यूनतम भी होगा टैक्स स्लैब लगाए गए।

कई देशों में जहां गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने सुधार में मदद की है अर्थव्यवस्था, केवल 2 या 3 दरें लागू करें। जीएसटी को निम्न दर के साथ दर को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है आवश्यक वस्तुओं, और शानदार वस्तुओं के लिए एक उच्च कर दर। वर्तमान में, भारत में, वहाँ 5 स्लैब हैं, लेकिन जल्द ही एक बदलाव होगा। तीसरा, व्यापक आर्थिक संकेतकों पर जीएसटी के प्रभाव की संभावना है मध्यम अवधि में बहुत सकारात्मक रहने के लिए। कैरकेडिंग (कर पर कर) के रूप में मुद्रास्फीति कम हो जाएगी देश में करों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और साथ ही करों से राजस्व सरकार के एक विस्तारित कर जाल के साथ बढ़ने की संभावना है, और राजकोषीय धाटा बढ़ने की उम्मीद है नियंत्रण में रहेंगे और जीएसटी इस पर एक बदलाव लाने वाला होगा। इसके अलावा, निर्यात बढ़ेगा, जबकि एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) भी बढ़ेगा। जानकारों का मानना है कि देश सबसे महत्वपूर्ण के कार्यान्वयन के साथ व्यापार करने में आसानी में आर्थिक रूप से बढ़ेगा देष के इतिहास में कभी भी कर सुधार।

निष्कर्ष- एक एकल कराधान प्रणाली नए व्यवसायों और उद्यमियों को सेवा में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करेगी और विनिर्माण क्षेत्र। जीएसटी केवल वस्तुओं या सेवाओं की खपत पर लगाया जाता है। इससे होता है राज्यों के बीच कराधान में आर्थिक विकृतियों को खत्म करना और माल की मुक्त आवाजाही में भी मदद करता है इसके अलावा, यह कराधान की जटिलता को भी कम करता है। यह कीमतों के रूप में व्यक्तियों के लिए भी फायदेमंद होगा जीएसटी के कारण नीचे जाएगा और कीमत में कमी से खपत में वृद्धि होगी और सीधे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। जैसा कि सभी राज्यों के लिए एक समय में जीएसटी कार्यान्वयन लागू होता है, नीतिगत बाधाओं की कमी होगी निकाला गया। प्रत्यक्ष रूप से जीएसटी एफडीआई में



निवेश बढ़ाएगा जिससे विदेशी राजकोष में वृद्धि होगी देश और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरों में वृद्धि। यह में नए स्टार्टअप को बढ़ावा देगा भारत अपने व्यापार के अनुकूल कर ढाँचे के लिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता निशिता (2014) CASIRJ खंड 5 अंक 3 ISSN 2319 – 9202, माल और सेवा कर: यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
2. माल और सेवा कर (जीएसटी) – एक कदम आगे (2013) पर उपलब्ध है.
3. www-articles-Economictimes-indiatimes-com डॉ. अंबरीश : इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमेनिटीज एंड मैनेजमेंट स्टडीज, गुड्स एंड सेवा कर और स्टार्टअप पर इसका प्रभाव 4.
4. डॉ वसंतगोपाल.आर. (2011), इंटरनेषनल जर्नल ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, वॉल्यूम 2, नंबर 2, अप्रैल 2011, GSTinIndia:ABigLeapintheindirectTaxationSystem.
5. कैसादुकिया राजकुमार, 'प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर पर एक अध्ययन (जीएसटी) प्रेमवर्क इन भारत" www-taxclubindia-com पर उपलब्ध है.
6. संसद पुस्तकालय से लेख और संदर्भ अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) समाचार पत्रों के लेख.

समाचार पत्रों के लेख —

1. एफई ब्यूरो, नई दिल्ली, 17 जनवरी 2017 'जीएसटी परिषद ने दोहरी समझौता किया' नियंत्रण मुद्दा , वित्तीय एक्सप्रेस।
2. नायर अविनाश, (जनवरी 12 2017), : जीएसटी प्लस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बड़ा, स्वच्छ बना देगा: जेटली, इंडियन एक्सप्रेस।
3. सेन रंजॉय (09 जनवरी 2017), अर्थव्यवस्था; प्रोत्साहन के साथ छितराया हुआ चौकस, डेवकन हेराल्ड।
4. पत्रिका आंचल (03 जनवरी 2017) : अनुपस्थित जमींदारों, खाद्य प्रसंस्करण फर्मों को लाया: जीएसटी नेट "इंडियन एक्सप्रेस" के तहत।

इंटरनेट—

1. www-indiataxes-com
2. www-articles-Economictimes-indiatimes-com
3. www-taxmanagementindia-com
4. www-goodsandservicetax-com
5. www-casirj-com
